

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

8-3-18 पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वोयन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 13.4.18 को पेश हो।

And
8.3.18

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय द्वारा कन्वोयन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 18.5.18 को पेश हो।

And
13.4.18

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु आज आपके द्वार के पास स्थल... मनोहरपुरा के दिनांक में पेश हो। 18.05.18 को पेश हो।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के कोर्ट मनोहरपुरा में पेश हुई। प्रतिवादीगण स्वयं उपस्थित जिनकी पहिचान आज पंचायत मनोहरपुरा में की है। उपस्थित मौतखिरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। प्रतिवादीगण को वादपत्र पट सुना गया। तहसीलदार बस्ती से केन्द्र कोर्ट स्थल मनोहरपुरा में रिकार्ड की जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं वादी व प्रतिवादीगण को वादपत्र पट सुनने एवं

And
18.5.18
दीर्घ

शकुन्तला
सरपंच
शकुन्तला देवी मान
ग्राम पंचायत मनोहरपुरा
बस्ती (जयपुर)

And

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बाबूलाल		1. जगन पुत्र स्व. भुवाना
2. वृद्धिचन्द पुत्रान प्रताप जाति हरि. ब्राहमण निवासी ग्राम भांकरोटा तह. सांगानेर जिला जयपुर।		2. हनुमान पुत्र धोलाराम 3. कालुराम पुत्र स्व. रामू 4. छीतर पुत्र सालगा 5. रामनारायण पुत्र कल्याण 6. कजोड पुत्र दूलाराम समस्त जाति मीणा समस्त निवासीगण मनोहरपुरा ढाणी जूनवालों की तह. बस्सी। 7. बाबुलाल पुत्र बद्री जाति मीणा निवासी देवापुरा तह. बस्सी जिला जयपुर। 8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी।


दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 18.05.2018

मुकदमा नम्बर 232/16

वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है कि वाद ग्रस्त आराजी ख. नं. 186/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा स्थित ग्राम मनोहरपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में तहसीलदार बस्सी के रिकार्ड के अनुसार वर्तमान में रास्ता चालू है तथा रास्ता सार्वजनिक प्रयोग हेतु उपयोग में लिया जा रहा है व लोकहित को ध्यान में रखते हुये वादीगण को वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा चाही गयी सहायता दिया जाना उचित नहीं समझते है। अतः वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है।.....निजी.....मुबलिक.....बाबत.....
.....खर्चा इस मुकददमें का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 18.05.18 को जारी किया गया।



दस्तख्त.....
ओहदा.....

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		
दावा			दावा		
स्टाम्प			स्टाम्प		
बकालतनामा			बकालतनामा		
स्टाम्प वहत			स्टाम्प वहत		
सबूत			सबूत		
महन्ता वकील			महन्ता वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस			फीस		
कमिश्नर			कमिश्नर		

Contd--2

राय क न			बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
---------------	--	--	---	--	--

इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्की के जरिये दिखाया हो या नहीं करना चाहिए।

and
 सहायक कलक्टर एवं पालक
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर
 बस्ती